न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2018-00125Ju2018-41 Sagatsingh etc Vs Gainsingh etc

---

01. सगतसिंह पुत्र देवीसिंह
02. पूंजराजसिंह पुत्र देवीसिंह
03. तखतसिंह पुत्र देवीसिंह
04. पपूसिंह पुत्र देवीसिंह
05. हडमानसिंह पुत्र लालसिंह
06. मीरा कंवर पत्नी स्व. गंगासिंह
07. भोमसिंह पुत्र गंगासिंह
08. आसूसिंह पुत्र गंगासिंह
09. छीनाकंवर पुत्री गंगासिंह
10. जेठी कंवर पुत्री गंगासिंह अपीलांट संख्या 7 से 10 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्री मीराकंवर पत्नी गंगासिंह सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- रामनगर देणोक सील लोहावट, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. गेनसिंह पुत्र लालसिंह जी
02. इन्द्रसिंह पुत्र लालसिंह जी जातियान् राजपूत, निवासीगण- रामनगर देणोक, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
03. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी दिनांक 07 फरवरी 2018 राजस्व विविध पार्थना पत्र संख्या 139/2011 गैनसिंह व अन्य बनाम सगतसिंह इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री जगदीश विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 24 नवंबर 2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 139/2011 गैनसिंह व अन्य बनाम सगतसिंह इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 07 फरवरी 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 05 मार्च 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पोडेंट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम रेस्पोडेंट्स के विरुद्ध पेश किया, जिस वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई कर दिनांक 07 फरवरी 2018 को रेस्पो./प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावे निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 07.02.2018 विधि विरुद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है तथा अपीलांट्स के नाम खातेदारी भूमि मे जो राजस्व रेकर्ड खातेदारी में दर्ज भूमि में खेती करने, उपयोग, उपभोग करने से रोकने एवं अपनी भूमि में कृषि कनेक्शन आदि को रोकने के लिए तथा रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण/वादीगण को एक प्रकार से भूमि में दखलंदाजी करने की खुली छूट प्रदान कर दी है जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं है। वादग्रस्त आराजी ग्राम रामनगर के खसरा नं. 1420 का संपूर्ण रकबा 143 बीघा 06 बिस्वा व गैर मुमकिन ढाणी के खसरा नं. 1419 के संबंध में वाद के निस्तारण तक

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश देते हुए निर्णय दिया है, जो गलत है एवं विधिविरुद्ध है, जबकि आपसी सहमति से हुये बंटवाड़ा दिनांक 30.12.2010 के अनुसार खसरा नं. 1420 में से अपीलांट्स के हिस्से में खसरा नं. 1420/1 रकबा 20 बीघा एवं खसरा नं. 1420/3 में 54 बीघा 04 बिस्वा भूमि बंट में दी गई, जिसकी पालना में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अमल दरामद की जाकर नामांतरकरण संख्या 16 दर्ज हुआ। राजस्व रेकर्ड में एवं नक्शा में दर्ज कर भूमि अलग-अलग खाते दर्ज कर तरमीम की जा चुकी है, परन्तु रेस्पोडेंट/वादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर नया दावा बंटवाड़ा का पेश कर उसके साथ में धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने के उद्धेश्य से मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश अपने पक्ष में प्राप्त कर लिये, इससे अपीलांट्स को अपनी भूमि में ट्यूबवेल खुदवाकर कृषि कनेक्शन एव के.सी.सी. लेने में भारी कठिनाई आ रही है। सहायक कलक्टर फलोदी द्वारा आदेशिकाओं में कांट-छांट कर अनियमितता की है तथा पत्रावली में तारीख पेशी 07.03.2018 के स्थान पर 07.02.2018 करके निर्णय कर दिया, जबकि पत्रावली में तारीख पेशी दिनांक 07.03.2018 मुकर्रर/नियत थी। सारी प्रक्रिया विधिविरुद्ध अपनाकर रेस्पोडेंट/वादीगण को छूट दे दी गई। राजस्व रेकर्ड को देखे बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय देकर अपीलांट्स को अपनी भूमि में कृषि कनेक्शन, के.सी.सी. लेने में एवं भूमि में सुधार/ विकास कार्य करने से रोका जा रहा है, जिसका कोई न्यायोचित कारण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई का कोई न्यायोचित अवसर नही दिया, जबकि अपीलांट्स रेकर्डेड खातेदार है, उनकी भूमि पर इस प्रकार से स्थगन आदेश देकर मनमाने तरीकों से कार्यवाही की है तथा एकतरफा कार्यवाही बनाये रखनें का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं तथा सहायक कलक्टर फलोदी के निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 07.02.2018 की क्रियान्विति पालना व प्रभाव को रोका जावें तथा अपीलांट्स अपनी खातेदारी हिस्से की भूमि रामनगर के खसरा नं. 1420/1 रकबा 20 बीघा एवं खसरा नं. 1420/3 रकबा 74 बीघा 04 बिस्वा में बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। केसीसी कार्य एवं अन्य विकास कार्य करवाने में कठिनाई व बाधा उत्पन्न नहीं करे। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावें तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2018 को अपास्त किया जावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड सहखातेदार है। वादीगण/रेस्पोडेंट्स का विभाजन का दावा विचारण न्यायालय में विचाराधीन है। वादग्रस्त आराजी सयुंक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक **अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 30.12.2010 तहसीलदार फलोदी के समक्ष बंटवाड़ा किया जा चुका है, जिस पर उभय पक्षकारान् के हस्ताक्षर है। उक्त बंटवाड़े की पालना मे दिनांक 30.12.2021 को नामांतरकरण संख्या 15 एवं 16 स्वीकृत किया गया।** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं राजस्व रेकर्ड पर गौर किये बिना तथा अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्धारक तीनों बिंदुओं पर विवेचन किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता जिसे यथावत रखा जाना विधिसम्मत नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर **उभय पक्ष को तादावा फैसला पाबंद किया जाता है कि वे पूर्व में बंटवाड़े अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज रकबे अनुसार एक-दूसरे के कब्जे-काश्त में दखलंदाजी नहीं करे।**

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 24/11/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर